संख्या 794/2015/1359/69-1-2015-21(बजट)/2013

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 07 अगस्त, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1438/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 10 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-फर्रुखाबाद की न0पा0प0, फर्रुखाबाद, जनपद बदायूँ की न0प0, उसहैत, कछला, कुँवरगांव, उसावां व बजीरगंज, जनपद जालौन की न0पा0प0, जालौन, उरई व न0पं0, कोंच एवं जनपद अमेठी की न0पं0, परसदेपुर (जो वर्तमान में जनपद रायबरेली में स्थित है) की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य हेतु कुल 26 परियोजनाओं के लिए नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि से शासनादेश संख्या-545/26-ब0प्र0-2013-21(बजट)/2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 द्वारा रू0 459.435 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 229.728 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-रायबरेली की न0पं0, परशदेपुर की कुल 07 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 32.765 लाख (रुपये बत्तीस लाख छिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या -32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकीस्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

-2/

विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि तथा लाभ सम्बन्धित इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इकाई (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय समिति विकास से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य चल रही योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि ब्याज सहित में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह यूडा/मुख्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि एवं आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, UDA, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को, आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

-3/

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-774/2015/1859(1)/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रायबरेली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या 7311 /2015/1859/69-1-2015-21(बजट)/2013 दिनांक 10 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अमेठी	न०पं०, [illegible]	दिलशाद के मकान से डा० राधेश्याम के मकान तक वार्ड सं० 07, जिला बाजार (पासी टोला) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.22	3.61
2	तदैव	तदैव	रिंकू के मकान से सुरेश के मकान तक वार्ड सं0-02 राम सागर/वार्ड सं0-07 कटरा बाजार (चमरौटी) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.170	2.585
3	तदैव	तदैव	पीरू दर्जी के मकान से इन्द्रा देवी रामासद के मकान तक वार्ड नं0 5 कटरा बाजार (चमरौटी) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	9.78	4.89
4	तदैव	तदैव	मोहन मिस्त्री के मकान से मिठ्ठू पासी के मकान तक वार्ड सं0 01 पुरे काजी पश्चिमी (कोरी मोहल्ला) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.54	3.77
5	तदैव	तदैव	रमजान कुरैशी के दुकान से सुन्दर कोरी के मकान तक वार्ड सं0 04 पुरे काजी पूर्वी (पासी टोला) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.31	7.155
6	तदैव	तदैव	मोती कोरी के मकान से धर्मेन्द्र निर्मल के मकान तक वार्ड सं0-02 रामसागर (दासीटोला) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.56	4.28
7	तदैव	तदैव	कंचनतारा के मकान से छेददन के मकान तक वार्ड सं0-02 रामसागर (दासीटोला) में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	12.95	6.475
योग				65.53	32.765

(रूपये बत्तीस लाख छिहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

(एन०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in